

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ. 7(76)/परि/नियम/ मु./2009 / 486/6

जयपुर, दिनांक: 20/5/14

कार्यालय आदेश संख्या—14—/2014

विषय:— केन्द्रीय अधिसूचना क्रमांक GSR 276 (E) दिनांक 10.04.2007 की पालना बाबत।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2007 को अधिसूचना क्रमांक GSR 276(E) जारी की जाकर केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 93 के उप-नियम(4) के खण्ड (III) में निम्नलिखित संशोधन किया गया था:—

In rule 93 of said rules, in sub- rule(4), in clause (iii), for the words, figures and letters “in the case of a laden trailer carrying ISO series 1 Freight Container, shall not exceed 4.2 meters”, the words, figures, letters” in the case of a laden trailer carrying ISO series 1 Freight Container or in the case of fabricated containerised motor vehicle, shall not exceed 4.52 meters” shall be substituted.

जानकारी में आया है कि प्रवर्तन कर्मियों द्वारा उक्त संशोधन के प्रभावी होने से कन्टेनर ट्रक हेतु अनुज्ञात ऊँचाई 4.52 मीटर से कम ऊँचाई के कन्टेनर्स के भी चालान किए जा रहे हैं।

इस क्रम में संबंधित अधिसूचना की प्रति संलग्न कर समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना में उल्लेख किए गए अनुसार संशोधित नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।

क्रमांक: एफ. 7(76)/परि/नियम/ मु./2009 / 486/17- 624
प्रतिलिपि:—

अपर परिवहन आयुक्त (मु.)
जयपुर, दिनांक: 20/5/14

1. निजी सचिव परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारी गण।
4. अपर परिवहन आयुक्त ———(समस्त जोन)।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी———(समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर।
7. श्री इन्दर वीर सिंह, निदेशक ए.बी.सी. ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड।
8. रक्षित पत्रावली।